रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275972
CG-DL-E-03092026-275972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4674] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948
No. 4674] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2026

का.आ. 4861(अ).— जबकि, मेसर्स पानीपत ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड(पीजीएचपीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय एल एंड टी हाउस एन.एम. मार्ग, बैलार्ड एस्टेट मुंबई जी.पी.ओ. मुंबई - 400001, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स पानीपत ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड (पीजीएचपीएल) को हरियाणा के पानीपत में स्थित उसकी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई के लिये बल्क उपभोक्ता के तौर पर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. No. 25-17/61/2026-POWER GRID (MoP) दिनांक 28.04.2026 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “मेसर्स पानीपत ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड (पीजीएचपीएल) को हरियाणा के पानीपत में स्थित उसकी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई के लिये बल्क उपभोक्ता के तौर पर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स पानीपत ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक ट्रिब्यून (हिंदी में) दिनांक 05.05.2026, द ट्रिब्यून (अंग्रेजी में) दिनांक 05.05.2026 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 09.05.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स पानीपत ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड ने 10.07.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी /अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स पानीपत ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड (पीजीएचपीएल) को हरियाणा के पानीपत में स्थित उसकी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई के लिये बल्क उपभोक्ता के तौर पर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

i. पीजीएचपीएल ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट (स्विचयार्ड - गाँव बाल जट्टन, ज़िला पानीपत, हरियाणा में स्थित) - जींद (PG) सब-स्टेशन (आईएसटीएस) 220 केवी डी/सी लाइन।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हरियाणा राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव का नाम	तहसील	जिला
कन्डेला / रुपगढ़ / रूपगढ़ / बड़ौदी / बरोदी / बदौदी / जीतगढ़ / बरसोला	जीन्द	जीन्द
मोहनगढ़/ झांझ कलां / धनखड़ी / खटकड़ / खट करन	उचाना	जीन्द
अलेवा / अलेवाह / दिल्लो वाला / धिल्लो वाल / ढिल्लोवाल / ढिल्लोवाला / रायचन्द वाला / रायचंदवाला / जीवनपुर / शाहपुर / शाहापुर / गोहियाँ / गोहियां / हसनपुर / नगूरां / निकूरन / दालमवाला / श्रीराग खेड़ा / श्री राग खेड़ा / खेड़ी नंगूरां / खेड़ी निकूरन / खाण्डा	अलेवा	जीन्द
बसीनी / बसेनी / भुसलाना / बुसलाना / डडवाड़ा / डिडवाडा / मेमनाबाद / निमनाबाद / मेम्माबाद / मलकपुर / मलिकपुर / रोढ़ / रोड़ / रोहर / मुआना / मोआना / धर्मगढ़ / धरमगढ़ / आफताबगढ़ / पाजुखुर्द / पाजु खुर्द / सिंघाना / खातला / बड़ौद / बरोध / साहनपुर / सहानपुर / पाजुकलां / पाजु कलां / थेह मलकपुर / थेह मलिकपुर / थे मलिकपुर	सफीदों	जीन्द
माण्डी खुर्द / माडी खुर्द / रितौली / रिटोली / आलन जोगी खेडा / तेली खेडा / अहलान जोगी खेड़ा / मोहम्मद खेड़ा / मुहम्मद खेड़ा / मोहमद खेड़ा / ढाठरथ / धातरथ / बनिया खेडा / खरक गादियां	सफीदों / उप-तहसील - पिल्लूखेडा	जीन्द

असंध / पोपडा / पोपरा / दनौली / दनाली / अरडाना / झिमरी खेडा / जॉली / जोली / कौल खेडा / कौल खेड़ा / सालवन / बन्दराला / गंगाटेहड़ी / गंगातेहड़ी	असंध	करनाल
मोर माजरा / गोली / गोल्ली / रिसालवा / रिसलवा	असंध / उप-तहसील - बल्ला / उप-तहसील - बल्लाह	करनाल
बाल जाटान / बाल जट्टान / धर्मगढ / धरमगढ़ / कवी / क़वी / शेरा / शेराह / रेंर कलां / रैरकलां	मडलौडा	पानीपत

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स पानीपत ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स पानीपत ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/71/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 28th August, 2026

S.O. 4861(E).— Whereas M/s Panipat Green Hydrogen Private Limited (PGHPL), the applicant having its registered office at L&T House N.M. Marg, Ballard Estate Mumbai G.P.O. Mumbai – 400001, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s. Panipat Green Hydrogen Private Limited (PGHPL) as Bulk Consumer for its Green Hydrogen generation unit at Panipat, Haryana".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/61/2026-POWER GRID(MoP) dated 28.04.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Panipat Green Hydrogen Private Limited (PGHPL) as Bulk Consumer for its Green Hydrogen generation unit at Panipat, Haryana".

M/s Panipat Green Hydrogen Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Dainik Tribune (in Hindi) dated 05.05.2026, The Tribune (in English) dated 05.05.2026 and in Weekly Gazette of India dated 09.05.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently M/s Panipat Green Hydrogen Private Limited, has submitted an affidavit dated 10.07.2026 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication of public notice in the Newspaper/official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Panipat Green Hydrogen Private Limited as Bulk Consumer for its Green Hydrogen generation unit at Panipat, Haryana". The following overhead line is covered under this scheme:

1. PGHPL Green Hydrogen Generation Plant (switchyard located in Village Bal Jattan, District Panipat, Haryana)- Jind (PG) Sub-station (ISTS) 220 kV D/c line.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Haryana**:**

Villages	Tehsil	District
Kandela / Rupgarh / Roopgarh / Badaudi / Barodi / Badaudi / Jitgarh / Barsola	Jind	Jind
Mohangarh / Jhanj Kalan / Dhankhari / Khatkar / Khat Karan	Uchana	Jind
Alewa / Alewah / Dillowala / Dhillowal / Dhillowal / Dhillowala /Raichand wala / Raichandwala / Jiwanpur / Shahpur / Shahapur / Gohiyan / Gohiya / Hasanpur / Naguran / Nikuran / Dalamwala / Srirag kheda / Sri rag kheda / Kheri Naguran / Kheri Nikuran / Khanda	Alewa	Jind
Basini / Baseni / Bhuslana / Buslana / Dadwara / Didwara / Maimanabad / Nimnabad / Memmabad / Malakpur / Malikpur / Rodh / Rorh / Rohar / Muana / Moana / Dharmgarh / Dharamgarh / Aftabgarh / Pajukhurd / Paju Khurd / Singhana / Khatla / Badaud / Barodh / Sahanpur / Sahaanpur / Pajukalan / Paju Kalan / Theh Malakpur / Theh Malikpur / The Malikpur	Safidon	Jind
Mandi Khurd / Madi Khurd / Ratauli/ Retoli / Ahlan Jogi khera / Teli Khera / Ahalan jogi khera / Mohammad khera / Muhammad Khera / Mohamad Kheda / Dhatrath / Dhatrat / Bania khera / Kharak Gadiya	Safidon / Sub-tehsil- Pillukhera	Jind
Assandh / Popda / Popra / Danauli / Danali / Ardana / Jhimri Kheda / Jolly / Joli / Kaul Khera / Kaul Kheda / Salwan / Bandrala / Gangatehri / Gangatheri	Assandh	Karnal
Mor Majra / Goli / Golli / Risaalwa / Risalwa	Assandh / Sub-tehsil- Balla / Sub-tehsil- Ballah	Karnal
Bal Jatan / Bal Jattan / Dharmgarh / Dharamgarh / Kawi / Qawi / Shera / Sherah / Rair Kalan / Rairkalan	Madlauda	Panipat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Panipat Green Hydrogen Private Limited (PGHPL) for laying above overhead

line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Panipat Green Hydrogen Private Limited (PGHPL), shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/71/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2026.09.03 21:57:25 +05'30'